ई-मेल द्वारा

दिनांक 09.08.2018 को आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग का कार्यवृत्त

दिनांक 09.08.2018 को प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों एवं परियोजना निदेशकों के साथ वीडियो कान्फ्रेसिंग की गयी। वीडियो कान्फ्रेसिंग में निम्न निर्देश दिये गये–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में वर्ष 2018–19 के लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि एक सप्ताह में अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाए।
2. वर्ष 2018–19 के लक्ष्य के सापेक्ष दो गुना लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन एवं जी0ओ0 टैगिंग कराना सुनिश्चित किया जाए।
3. प्रथम किस्त अवमुक्त करने हेतु एफ0टी0ओ0 निर्गत करने में खराब जनपदों–बांदा, अमेठी, एटा, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हरदोई, मऊ एवं आजमगढ़ को निर्देश दिये गये कि तत्काल लक्ष्य के सापेक्ष शत–प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किश्त अवमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. स्थायी प्रतीक्षा सूची से अपात्रों का नाम हटाने के लिए रिमांड माड्यूल की कार्यवाही को एक सप्ताह के भीतर शत–प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।
5. अपात्र लाभार्थियों के धनराशि की वसूली के साथ–साथ दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
6. विगत वर्षों के अधूरे प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, इन्दिरा आवास एवं लोहिया आवासों को जल्द से जल्द पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये।
7. मुख्यमंत्री आवास की धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। गाइड–लाईन के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर तत्काल प्रथम किश्त अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये।
8. ग्राम पंचायतों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आवास लाभार्थियों का विवरण, वॉल राइटिंग का कार्य कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
9. सेक सूची–2011 में जिन पात्र लाभार्थियों का नाम छूट गया है, ऐसे पात्र लाभार्थियों का विवरण आवास प्लस ऐप के माध्यम से अपलोड तत्काल कराने के निर्देश दिये गये।

10. प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से छूटे हुए/वंचित पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण में जनपद–फतेहपुर, उन्नाव, आगरा, झांसी, एटा, सोनभद्र, सम्भल एवं हाथरस का अभी तक फील्ड सर्वेक्षण कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण नहीं हुआ है। संबंधित जनपदों के अधिकारियों को उक्त कार्य शत–प्रतिशत पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये हैं।

11. प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से छूटे हुए/वंचित पात्र लाभार्थियों के सर्वेक्षण में जनपद–आगरा, आजमगढ़, बदायूँ, चित्रकूट, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र एवं सोनभद्र का अभी तक फीडिंग कार्य शून्य है। संबंधित जनपदों के अधिकारियों को उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

समस्त मुख्य विकास अधिकारियों/परियोजना निदेशकों को अवगत कराया गया कि यदि उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्यवाही नहीं की जाती है तो इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

(नागेन्द्र प्रसाद सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रांकः 1138/बैठक/वी0सी0/2018, दिनांक 16 अगस्त, 2018।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास ,उ0प्र0 शासन।
2–समस्त जिला अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
3–समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4–समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
5–समस्त संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय)।
6–समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7–समस्त उपायुक्त/योजनाधिकारी, उ0प्र0।
8–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 लखनऊ को उक्त कार्यवृत्त वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नागेन्द्र प्रसाद सिंह)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।